मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 147/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

======

विषय:- मूलभूत नियम 22(सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी मानना।

===x===

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा। शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुवा है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिए क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं ?

=2=

2/ इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूलभूत नियम 22(सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
31-3-80

(एल०एन० मीणा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 148 /380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980.

प्रतिलिपि:-

1- रजिस्टार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

(के०एन०श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

खाँन/-